

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Appeal Case No.- 174/2025]

Ghanshyam Kumar.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	आदेश यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-9999/2019 में दिनांक-16.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, सुपौल के पत्रांक-917-2 दिनांक-31.10.2018 के द्वारा आवेदक घनश्याम कुमार के PDS डीलर के रूप में हुए चयन को रद्द कर उनकी जगह मीणा देवी, अध्यक्ष, जीविका ग्राम संगठन विशनपुर, ठाढ़ी भवानीपुर, पिपरा, सुपौल को चयनित किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है। दिनांक-01.07.2026 को विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना रक्ष रखने का अंतिम अवसर दिये जाने के अंतरिम आदेश के बावजूद दिनांक-09.09.2026 को विपक्षी अनुपस्थित हैं। आवेदक तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक के Final Argument को सुना। वाद पत्र, आवेदक के लिखित बहस, राज्य की ओर से दाखिल लिखित जवाब एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक घनश्याम कुमार का वाद पत्र एवं लिखित बहस के माध्यम से अभिकथन है कि - - आवेदक घनश्याम कुमार द्वारा अनारक्षित कोटि के विरुद्ध PDS डीलर हेतु ठाढ़ी भवानीपुर ग्राम पंचायत अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए नियमानुसार अपेक्षित सभी कागजातों के साथ आवेदन समर्पित किया गया था। - मेधा सूची प्रकाशन के बाद आवेदक का नाम क्रमांक-01 पर दर्ज हुआ जिसमें शैक्षणिक कॉलम में M.Sc. और कम्प्यूटर योग्यता कॉलम में A.D.C.A. दर्ज हुआ। वहीं विपक्षी संख्या-06 मीणा देवी, अध्यक्ष मुनियां जीविका ग्राम संगठन का नाम क्रमांक-11 पर दर्ज हुआ जिसमें शैक्षणिक कॉलम में अंक पत्र संलग्न नहीं तथा कम्प्यूटर योग्यता कॉलम में नहीं दर्ज किया गया और अभ्युक्ति कॉलम में “अध्यक्ष इण्टर हैं, लेकिन पिछड़ा श्रेणी की है” दर्ज किया गया। जो स्पष्ट करता है कि अनारक्षित कोटि में विपक्षी संख्या-06 चयन हेतु पात्र ही नहीं है। - मेधा सूची प्रकाशन के बाद आपत्ति मांगे जाने की निर्धारित अवधि में विपक्षी संख्या-06 के द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया गया। वहीं आवेदक के द्वारा मेधा सूची में उनका स्वयं का वार्ड नम्बर दर्ज नहीं होने के कारण वार्ड संख्या दर्ज करने हेतु आपत्ति दाखिल किया गया, जिसके बाद दिनांक-20.07.2018 को संशोधित मेधा सूची का प्रकाशन हुआ और अनारक्षित कोटि से आवेदक का चयन किया गया। विभागीय निर्देशानुसार अनुज्ञप्ति शुल्क-1,000/- रुपये दिनांक-02.08.2018 को ट्रेजरी चलान के माध्यम से जमा लिया गया।	



187

29.9.2026



4. आवेदक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के बाद नये अनुज्ञप्ति आदेश प्राप्ति हेतु प्रतिकारत रहा। लेकिन स्थानीय स्तर पर पत्राचार के बावजूद अनुज्ञापन पत्र प्राप्त नहीं होने पर तत्कालीन आयुक्त महोदय के समक्ष शिकायती आवेदन दिया। तदालोक में स्क्रिनिंग कमिटी के द्वारा 25.10.2018 को बैठक आयोजित की गयी और क्रमांक-20 पर आवेदक के संदर्भ में दर्ज किया गया कि मुनियां जीविका ग्राम संगठन की अध्यक्ष अनुज्ञप्ति चयन हेतु सभी मानकों को पूर्ण करती है। अतः आवेदक का दावा अमान्य है। वहीं क्रमांक-12 पर जीविका ग्राम संगठन के बारे में अंकित है कि विभागीय निर्देशानुसार अनुज्ञप्ति चयन में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव, जो मैट्रिक उत्तीर्ण हैं, वे ही अनुज्ञप्ति हेतु आवेदनकर्ता होंगे एवं उन्हें चयन में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। अतः रोस्टर बिन्दु-113 के लिए चयनित अभ्यर्थी घनश्याम मेहता के नाम निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए अध्यक्ष, मुनियां जीविका ग्राम संगठन को नये अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गयी।
5. "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" दिनांक-10.03.2026 को बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसमें स्वयं सहायता ग्रुप को मान्य योग्य अभ्यर्थी माना गया है और चयन में किसी भी प्रकार की प्राथमिकता की चर्चा नहीं की गई, परंतु सुपौल जिला स्तर पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के योग्यता कॉलम में प्राथमिकता का एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर स्वयं सहायता ग्रुप महिलाओं की सहकारी संस्थाओं, पूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थाओं और संबंधित पंचायत के वार्ड के निवासी को प्राथमिकता देने की बात दर्ज की गई जो पूर्णरूपेण गलत था और इसी को आधार बनाकर आवेदक का चयन रद्द कर पुनः विपक्षी संख्या-06 के चयन का आदेश दिया गया, जो सही नहीं है।
6. जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा आवेदक का चयन बिल्कुल सही किया गया था चूंकी नियमानुसार कम्प्यूटर एजुकेशन के साथ आवेदन सर्वोच्च मेधा अंकधारी अभ्यर्थी है जो मेधा सूची से भी स्पष्ट है।
7. मेधा सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समुह के अध्यक्ष/सचिव के लिए आवश्यक मैट्रिकुलेशन योग्यता का कोई साक्ष्य यथा अंक पत्र/प्रमाण पत्र विपक्षी सं0-06 के द्वारा संलग्न नहीं किया गया था और विपक्षी संख्या-06 पिछड़े वर्ग की महिला है। वहीं रिक्ति अनारक्षित कोटि में है और किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन उक्त प्रकाशित मेधा सूची के आलोक में विपक्षी सं0-06 ने कभी दाखिल नहीं किया और अपने शैक्षणिक कागजातों का कोई साक्ष्य आवेदन के साथ समर्पित नहीं किया जो अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में आवेदक के चयन के बाद विपक्षी संख्या-06 का गलत तरीके से चयन रोस्टर क्रमांक-113 जो अनारक्षित कोटि है के विरुद्ध कर लिया गया जो रद्द किये जाने योग्य है।

विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सहरसा द्वारा राज्य की ओर से दाखिल जवाब -

1. PDS दूकान हेतु चयन के लिए विद्वान समाहर्ता, सुपौल एवं चयन

98

29.9.2026

समिति का आदेश सभी मापदण्ड को पूरा करने के उपरान्त चयन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है।

2. जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा उचित मूल्य की दूकान (PDS) को आवंटित करने के संदर्भ में बिहार लक्षित सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा-9 उल्लेखित है।
3. अपीलार्थी का अपील वाद अस्पष्ट तथा विधिसम्मत, नियमानुकूल नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सहरसा के Final बहस को सुनने, वाद पत्र/आवेदक के लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम-8(i) के अनुसार उचित मूल्य के दुकार के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दिया जाना प्रावधानित है।

उपरोक्त के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा प्रश्नगत मामले में लिए गये निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं पाते हुए अपीलार्थी के इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय। निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।



लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।